

यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

मु. नं 99/17 तारीख रज् 26.7.17

उनवान - मोहनसिंह बनाम रमेशचन्द्र वगैरे
कमालपुरा

दावा बाबत इस्तकाररहक व स्यायी विषेधाजा

वादी की ओर से श्री भद्रनमोहनशर्मा ए/कोकेट ने दावा बाबत
इस्तकाररहक व स्यायी विषेधाजा अनारजत धारा 80, 188
के तहत पेश किया। जभाबन्दी का अवभोकन किया गया।
दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रीतवादीगण को जिरिये सम्मन
से तलव कर दिनांक 16.8.17 को पेश हो।

4335-39
28-7-17

जगदीश आर्य
ज्यजिनाकरकटर
टोडाभीम

27.9.17

जनरल पेशीस पेश हुई। वादी वकील उप.। समान
वापिस प्राप्त नहीं हुए हैं। वादी वकील ने प्रतिवादी नं. 1
के फौत हो जोन व्हा कपन बिषा/ ए. कापम मुद्राम व
समान तलवाता पेश बने दि. 31.10.17 को पेश हो।

31.10.17 - इतकाश

1.11.17 वादी वकील उप.। ए. कापम मुद्राम पेश बने। तलवाता
पेश बने दिनांक 13.12.17 को पेश हो।

वादी वकील उप.। गवानुसार दिनांक 9.1.18 को पेश हो।


18 वादी वकील उप.। वादी वकील ने ए. 022R4 मत्र ए. व
ए. 5 लिमीटेड ए. व. पेश की। ए. ए. सुजक ए. व. ए.
सी. ए. वी. जारी है। वादी वकील लेशोचित ए. व. ए. व.
कोटिस कापम मुद्राम प्रतिवादी नं. 1 एवं समान प्रतिवादी नं.

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

3.3.20

यह पत्रावली मुकदमा अनवानी रमेशचन्द बनाम मोहन सिंह से अलग होने पर पेश हुई। वादी वकील उपस्थित नहीं है। कई बार आवाज दिलाई गई। फिर भी वादी वकील एवं वादी में से कोई भी उपस्थित नहीं है। अतः यह दावा अदम हाजिरी एवं अदम सजिरी पैरवी में रवाजिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।


उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम (करौली)

